झा0 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद

पत्रांक –टी0पी0 34 / न0नि0 धनबाद, दिनांक 03/10/2016

सेवा में,
श्री / श्रीमती मालती रेसीडेन्सी इम्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0 लि0, चास बोकारो के तरफ से डायरेक्टर श्री अजय कुमार पिता श्री डी0 नायक के तरफ से आम मोख्तार श्री बिरेन्द्र कुमार पिता-
पिता / पति श्री नन्दलाल नायक, हरिणा, बाघमारा, जिला धनबाद।
पता.........

विषय:– आवसीय / भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न0 बी0डी0 – 42/16-17 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 17/8/2016 के सम्बंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील स0– 2782/10/6/16, 957/29/2/16 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 9934 III, 1734 III/16-17 जमाबन्दी स0 2303, 2288 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 16-17 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं नगर निवेशक / तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / भवन संबंधी बी0डी0 केश न0 42/16-17 के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि मौजा स0 नावाडीह - 26 के अन्तर्गत खाता स0 07, 09, 48, 81 प्लॉट स0 16, 20, 22, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 रकवा 1.80½ एकड़ भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियंता श्री Kumud Kanchan की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 3 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्रविकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे। माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय / भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा स्वत्व अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर मुख्तामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एव पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिए आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार / नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

प्लीन्थ सतह तक निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे। तदनुसार अभियंता जांच करेंगे उसके पश्चात ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

आवेदक द्वारा श्रम उपकर के मद में 01% कुल रू0 30,65260/- जमा किया गया है।

[illegible] साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा करें। स्ट्रेक्चर डिजाईन, सायल टेस्टरिपोर्ट काम शुरू करने से पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें।

03/10/16

कार्यपालक अभियंता

माडा, धनबाद।

30/9/16 30/9/16